रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

SECRETARIAT

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1988/कार्तिक 7, 1910
No. 556] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1988/KARTIKA 7, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर 1988

का.आ. 997(अ).—19 अक्तूबर, 1988 को इंडियन एयरलाइन्स का बी-737 विमान श्री टी-ई.ए.एच बम्बई से अहमदाबाद के लिए उड़ान संख्या आई. सी.-113 प्रचालित

करते हुए अहमदाबाद के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके परिणामस्वरूप (6 क्रू सदस्यों सहित) विमान में सवार 130 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

तथा केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि उक्त दुर्घटना की परिस्थितियों की औपचारिक जांच करना युक्तियुक्त है ;

और अब, वायुयान नियमावली नियम 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के निर्देश देती है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त जांच के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक माथुर को नियुक्त करती है ।

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को : –

(1) श्री के.बी. गणेशन, सेवानिवृत्त नागर विमानन महानिदेशक, बी-34 सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली 110019.

(2) श्री जे.के. मेहरा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल प्रोजेक्टस कंसट्रक्शन कॉरपोरेशन लि. 30, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ;

(3) विंग कमांडर आर.पी.एस. गारचा, वरिष्ठ उड़ान सुरक्षा अधिकारी, एयरफोर्स स्टेशन, चण्डीगढ़ ;

उक्त जांच के असैसरों के रूप में नियुक्त करती है ।

न्यायालय अपनी जांच पूरी करने के बाद 31 जनवरी, 1989 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा ।

न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[संख्या एवी-15013/15/88-एस एस वी]

वी. पट्टनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1988

S.O. 997(E).—Whereas on 19th October, 1988, an Indian Airlines B-737 aircraft VT-EAH, while operating flight No. IC-113 from Bombay to Ahmedabad, crashed near Ahmedabad resulting in the death of 130 persons (including 6 crew members) on board ;

And whereas it appears to the Central Government that it is expedient to hold a formal investigation into the circumstances of the said accident;

And now, in exercise of the power conferred by the Rule 75 of the Aircraft Rules, the Central Government hereby directs that a formal investigation of the said accident be held.

The Central Government is further pleased to appoint Shri Justice Ashok Mathur of the Rajasthan High Court to hold the said investigation.

The Central Government is also pleased to appoint :—

(i) Shri K.B. Ganesan, B-34, Sarvodaya Enclave, New Delhi.

(ii) Shri J.K. Mehta, Chairman and Managing Director, National Projects Construction Corporation Ltd., 30, Nehru Place, New Delhi-110019;

(iii) Wing Commander R.P.S. Garcha, Sr. Flight Safety Officer, Air Force Station, Chandigarh;

to act as assessors to the said investigation.

The Court will complete its Inquiry and make its report to the Central Government by 31st January, 1989.

The Headquarters of the Court will be at New Delhi.

[No. Av.15013/15/88-SSV]

V. PATTANAYAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988